एक निर्णय जो संविधान को कायम रखता है

द हिन्दू

पेपर-II
(सामान्य अध्ययन)

मीडिया वन केस (मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड मीडिया वन हेडक्वार्टर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक अध्ययन की जरूरत है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यह अदालतों द्वारा आमतौर से अपनाई जाने वाली 'सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया' पर रोक लगाता है। यह सरकार को राष्ट्र से अलग करके राज्य पर सवाल उठाने के नागरिक के अधिकार का समर्थन करता है। यह राज्य की मनमानी पर पर्दा डालने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की बयानबाजी के दुरूपयोग के खिलाफ न्यायिक चेतावनी है। फिर भी, फैसले का एक प्रासंगिक महत्व है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए।

इजरायल के न्यायिक सुधार क्या हैं जिनका विरोध हो रहा है?

- इजरायल के न्याय मंत्री यारिव लेविन ने इसी साल जनवरी के पहले सप्ताह न्यायिक प्रणाली में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। न्यायिक प्रणाली में संशोधन के जरिए सरकार एक समीक्षा समिति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के नामांकित व्यक्तियों में सुधार करने और संसद को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अस्वीकार करने का अधिकार देने का प्रयास कर रही है।
- नेतन्याहू सरकार द्वारा प्रस्तावित नए कानून के तहत 120 सीटों वाली इजरायली संसद में 61 सांसदों के साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया जा सकेगा। प्रस्तावित सुधार उस प्रणाली को भी बदल देगा जिसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इससे न्यायपालिका में राजनेताओं को अधिक नियंत्रण मिलेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ हाल की आलोचनाएँ क्या रही हैं?

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लोकतंत्र की संस्थाओं को अस्थिर करने के प्रयासों के लिए केन्द्र की आलोचना की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हिस्से की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। चाहें वह चुनावी बॉन्ड और अनुच्छेद-370 को कमजोर करने जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई स्थगित करना हो या धन शोधन निवारण अधिनियम के कठोर प्रावधानों को भी बरकरार रखना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग कार्यकर्ता जीएन साईंबाबा की रिहाई का निर्देश दिया गया था।

गौरव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास

फिर भी, शीर्ष अदालत ने निम्नलिखित केसों के माध्यम से अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया है। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ में, इसने कार्यपालिका से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की शक्ति को हटा दिया और भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता की एक समिति के गठन का निर्देश दिया।

न्यायालय के आधुनिकीकरण में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ का योगदान उल्लेखनीय है। मीडिया वन के फैसले ने वर्तमान चिंताजनक समय में अदालत की संस्थागत क्षमता को रेखांकित किया है।

अतीत में, कई संवैधानिक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा विकसित किया गया था यह तब किया गया था जब मामला या तो उस मुद्दे से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था या केवल अकादमिक मूल्य का था।

उदाहरण के लिए बोम्मई वाद, 1994 बोम्मई मामले में, यह मानता है कि संघवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषताएं हैं। हालाँकि, यह कुछ राज्य सरकारों के विघटन के वास्तविक मुद्दे को हल करने में विफल रहा, क्योंकि बाद में उन राज्यों में चुनाव हुए।

ऐसे ही जब 2017 में आधार परियोजना को चुनौती देने वाले पुट्टास्वामी मामले का फैसला किया गया था, तो पुट्टास्वामी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने केवल सैद्धान्तिक स्तर पर निजता के विचार और संबंधित अवधारणाओं का विवरण प्रदान किया।तब सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका के साथ सीधे और तत्काल संघर्ष के विकल्प को नहीं चुना।

वहीं दूसरी ओर, मीडिया वन मामले में, अदालत ने सीधे केन्द्र का सामना किया है। इस मामले में केन्द्र सरकार ने "राष्ट्रीय सुरक्षा" का हवाला देते हुए टेलीविजन चैनल को जारी किए गए लाइसेंस को एकतरफा रद्द कर दिया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को मीडिया हाउस के लाइसेंस को नवीनीकृत करने का निर्देश दिया। इसने सभी प्रमुख सैद्धांतिक मुद्दों जैसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, आनुपातिकता मानक और जनहित के दावों पर विचार किया और केन्द्र को ठोस शब्दों में निर्देश जारी किए।

क्या है मीडिया वन मामला?

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 31 जनवरी, 2022 को मलयालम चैनल मीडियावन के प्रसारण लाइसेंस को इस आधार पर नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था कि गृह मंत्रालय ने लाइसेंस के नवीनीकरण के अनुरोध पर विचार करते हुए इसे सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। गृह मंत्रालय ने चैनल प्रमोटर्स मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड और जमात-ए-इस्लामी हिंद के बीच कथित संबंधों का हवाला दिया। इसके बाद चौनल को ऑफ एयर कर दिया गया।

हाईकोर्ट में क्या हुआ?

- चैनल ने केन्द्र की कार्रवाई के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केन्द्र ने हाईकोर्ट को बताया कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया है।
- 9 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने चैनल पर लगे बैन को बरकरार रखा था। अपील पर, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 2 मार्च को एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा।
- हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि जब राज्य की सुरक्षा से संबंधित कुछ मुद्दों का संबंध है, तो सरकार नवीनीकरण न करने के पूर्ण कारणों का खुलासा किए बिना दी गई अनुमति को नवीनीकृत करने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है।

दुनिया भर में न्यायपालिका के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

वैश्विक संदर्भ में लोकलुभावन निरंकुश सत्ताएं वर्तमान में अपने बहुसंख्यकवादी आवेग से न्यायपालिका को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। इजराइल में, वर्तमान जन आंदोलन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ दखल देने के कदम के खिलाफ है।

बोलीविया में, पिछले कुछ वर्षों में न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किया गया है। पोलैंड में, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कम करके, शासन ने पुराने न्यायाधीशों को बाहर कर दिया और नए व्यक्तियों को शामिल किया जो सरकार के वफादार हैं।

अगर भारत में भी देखें तो कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों पर कार्यपालिका न्यायिक नियुक्तियों में देरी करती है। भारत में कभी-कभी कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना भी की जाती है।

कोर्ट और विपक्ष

मौजूदा परिदृश्य में मीडिया वन निर्णय दिया गया है, जोकि न्यायपालिका के बहुसंख्यकवादी प्रभावों का विरोध करने के प्रयास को दर्शाता है। अदालत ने एक बहुसंख्यकवादी भूमिका निभाई है, जो कि विपक्ष की भूमिका से गुणात्मक रूप से भिन्न है। जैसा कि लैंडौ और डिक्सन ने कहा है कि "न्यायाधीशों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने या लोकतांत्रिक हेजिंग के रूप में शामिल होने के लिए तेजी से शामिल किया जा रहा है।"

अमेरिकी न्यायविद् मार्क टुशनेट ने सही कहा है कि "संविधान मायने रखता है क्योंकि यह हमारी राजनीति के लिए एक संरचना प्रदान करता है" और साथ ही "यह राजनीति है, न कि 'संविधान', जो कि हमारे मौलिक अधिकार के लिए चुनौती बन कर खड़ी होती है।" दूसरे शब्दों में, संविधान का समर्थन करने वाली राजनीति के अभाव में, संविधान टिक नहीं सकता। हालाँकि, अदालत के सामने विपक्ष की राजनीति को कायम रखना नहीं है, भले ही वह वैध क्यों न हो। यहीं वजह है कि शीर्ष अदालत ने विपक्षी दलों की उस याचिका को सही तरीके से खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ केन्द्रीय जाँच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। शिकायत वास्तविक है, लेकिन इसके लिए एक राजनीतिक समाधान की जरूरत है, न कि न्यायिक समाधान की।

इस प्रकार न्यायालय की संवैधानिक राजनीति विपक्ष की राजनीति से भिन्न है। अदालत केवल एक आक्रामक राज्य के खिलाफ न्यायिक या संवैधानिक जाँच कर सकती है। यह कोई राजनीतिक रोक नहीं लगा सकता, जो केवल जन आंदोलनों या चुनावी निर्णयों के माध्यम से ही हो सकता है।

यह संवैधानिक राजनीति है जो मीडिया वन के फैसले के आंतरिक मूल्य को बढ़ाती है। फिर भी, संविधान के अस्तित्व के लिए, हमें अदालत के बाहर एक संघर्ष की आवश्यकता हो सकती है, जो कि अदालत के बहुसंख्यकवादी रुख का पूरक होना चाहिए।

IAS GS World PCS Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

1. पुट्टास्वामी मामला – निजता का अधिकार
2. बोम्मई मामला – संघवाद
3. अनूप वर्णवाल मामला – चुनाव आयोग में सुधार

उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई भी नहीं

Que. Consider the following pairs:

1. Puttaswamy Case - Right to Privacy
2. Bommai Case - Federalism
3. Anoop Baranwal Case - Reforms in the ElectionCommission

How many of the above pairs are correctly matched?

(a) Only one

(b) Only two

(c) All three

(d) None

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : 'हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मीडिया वन मामले में दिया गया निर्णय भारतीय राजनीति और भारतीय कानून व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है।' इस कथन के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का विश्लेषण कीजिए।

(250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- ❖ सबसे पहले इस मामले का संक्षिप्त वर्णन करें।
- ❖ इस निर्णय का भारतीय राजनीति और भारतीय कानून व्यवस्था के लिए महत्व बताएं।
- ❖ इस निर्णय के दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं उसकी चर्चा करें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।